मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल

अधिसूचना

दिनांक 18.06.2026

क्रमांक–1016 / मप्रविनिआ / 2026, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181 (1) एवं धारा 181(2) के खण्ड (यघ) तथा (यझ) सहपठित धारा 61(ज) तथा धारा 86(1)(ङ) के अधीन प्रदत्त तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी समस्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड पारस्परिक नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियां एवं संबंधित मामले) विनियम, (पुनरीक्षण द्वितीय), 2024 जिन्हें एतद पश्चात् **''मूल विनियम''** निर्दिष्ट किया गया है, में संशोधन करने हेतु निम्न विनियम बनाता है, अर्थात्:–

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड पारस्परिक नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियां एवं संबंधित मामले) विनियम, (पुनरीक्षण द्वितीय) 2024 में (प्रथम संशोधन) {एआरजी–39 (II)(i), वर्ष 2026}

1. संक्षिप्त और प्रारंभ

1.1 ये विनियम **''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड पारस्परिक नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियां एवं संबंधित मामले) विनियम, (पुनरीक्षण द्वितीय) (प्रथम संशोधन) 2024 {एआरजी–39 (II)(i), वर्ष 2026}"** कहलायेंगे।

1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश शासन के ''राजपत्र'' में इनकी प्रकाशन तिथि से प्रभावशील होंगे।

1.3 इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में होगा।

2. मूल विनियमों के विनियम 2 में संशोधन :

मूल विनियमों के विनियम 2(1)(प) के पश्चात् एक नवीन विनियम नामतः 2(1)(प1) निम्नानुसार जोड़ा जाए, अर्थात् :

''2(1)(प1) ''पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना'' या ''पीएमएसजी : एमबीवाई (PMSG : MBY)" से अभिप्रेत

है कोई योजना जिसे भारत सरकार द्वारा दिनांक 29.02.2024 को प्रवर्तित (launch) किया गया है;

3. मूल विनियमों के विनियम 6 में संशोधन :

3.1 विद्यमान विनियम 6(घ) के पश्चात् निम्न नवीन परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाए अर्थात् :

''परन्तु यह कि उत्पादोभोक्ता (Prosumers) जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PMSG : MBY) के अधीन शुद्ध मापन व्यवस्था संयोजनों (net metering connections) हेतु आवेदन प्रस्तुत करते हों उन्हें उपरोक्त कथित पंजीकरण शुल्क (processing fee) के भुगतान से छूट प्राप्त होगी।''

3.2 मूल विनियमों के विनियम 6(झ) के प्रथम परन्तुक के पश्चात् एक नवीन परन्तुक निम्नानुसार स्थापित किया जाए अर्थात् :

''परन्तु आगे यह और कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PMSG : MBY) के अधीन सेवा प्रदाय के प्रयोजन से शुद्ध मापन व्यवस्था संयोजनों (net metering connections) के प्रकरण में कोई पृथक अनुबंध/करार निष्पादित किया जाना आवश्यक न होगा। ऐसे प्रकरण में अनुबन्ध/करार को आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदन के साथ परिशिष्टबद्ध किया जाएगा तथा इसे आवेदन प्रस्तुत करते समय ऑनलाइन (on-line) निष्पादित किया जाएगा।''

3.3 मूल विनियमों के विद्यमान विनियम 6(ञ) के पश्चात् एक नवीन परन्तुक निम्नानुसार अन्तर्स्थापित किया जाए अर्थात्:

''परन्तु यह कि अनुज्ञप्तिधारी (Licensee) द्वारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PMSG : MBY) के अधीन सेवा प्रदाय के प्रयोजन से शुद्ध मापन व्यवस्था संयोजनों के मापयंत्रों (meters) के परीक्षण (testing) हेतु कोई शुल्क प्रभारित नहीं किया जाएगा।''

4. **मूल विनियमों के विनियम 8 में संशोधन**

4.1 मूल विनियमों के विनियम 8(क)(3)(ख) में संशोधन :

मूल विनियमों के विनियम 8(क)(3)(ख) में प्रकट होने वाले शब्दों, संख्याओं तथा प्रतीक चिन्हों, यथा ''(3)(क), (3)(ख) तथा (3)(ग)'' के स्थान पर शब्द, संख्यायें तथा प्रतीक चिन्ह ''(3)(क) तथा (3)(ख)'' स्थापित किये जाएं।

4.2 मूल विनियमों के विनियम 8(घ) (4)(घ) में संशोधन :

मूल विनियमों के विनियम 8(घ)(4)(घ) में प्रकट होने वाले शब्दों, ''समूह शुद्ध मापन व्यवस्था अनुबन्ध (group net metering agreement)" के स्थान पर शब्द ''प्रतीयमान शुद्ध मापन व्यवस्था (virtual net metering agreement)" स्थापित किये जाएं।

5. **मूल विनियमों के विनियम 9 में संशोधन :**

मूल विनियमों के विनियम 9 के स्थान पर नवीन विनियम 9 निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :

9. ''नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्धन (Renewable Purchase Obligation):-

शुद्ध मापन व्यवस्था (net metering), समूह शुद्ध मापन व्यवस्था (group net metering arrangment), सकल मापन व्यवस्था (gross metering) तथा प्रतीयमान शुद्ध मापन व्यवस्था (virtual net metering arrangment) के अधीन नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली (Renewable Energy System) से उत्पादोभोक्ता (prosumer) द्वारा उत्पादित ऊर्जा की मात्रा के प्रति वितरण अनुज्ञप्तिधारी को नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्धन (RPO) के उपबन्धों का अनुपालन करना होगा :

परन्तु यह कि ऐसे प्रकरणों में जहां नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन मापयंत्र (Renewable Generation Meter) की स्थापना समय–समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का अधिष्ठापन एवं प्रचालन) विनियम 2006 के उपबन्धों के अनुसार की गई हो तथा इस मापयन्त्र (meter) का वाचन वितरण

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जा रहा हो, वहां अनुज्ञप्तिधारी को समग्र उत्पादित ऊर्जा के प्रति नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्धन (RPO) का अनुपालन करना होगा :

परन्तु आगे यह और कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिए ऐसे नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों द्वारा उत्पादित यूनिटों की मात्रा को प्राप्त करना/मापन करना संभव न हो वहां उत्पादित यूनिटों की संख्या को समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग {ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन तथा उत्पादन} (पुनरीक्षण–द्वितीय) विनियम, 2021 के विनियम 3.1(क) अनुसार मान्य किया जाएगा।''

टीपः– **इन विनियमों के हिन्दी रूपान्तरण के प्रावधानों की व्याख्या या विवेचना या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंगेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जाएगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार की स्थिति में आयोग का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।**

आयोग के आदेशानुसार

(डॉ. उमाकान्त पाण्डा)
आयोग सचिव
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग